

कृषि महाविद्यालय

[स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय]

बीकानेर – 334006

Tel. Tel. 2250283,2250282 (O) Mail: coaraubikaner@gmail.com


क्रमांक/ कृ.म./लेखा शाखा/नीलामी /2022/3370-85

दिनांक : 01.02.2022

नीलामी सूचना


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, बीकानेर में उपलब्ध अनुपयोगी वाहन (बस व ट्रैक्टर) एवं सामग्री जैसे लकड़ी व लोहे का फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर, कूलर, कृषि उपकरण, औजार एवं मशीनरी, स्पिंकलर व ड्रिप पाईप, एवं अन्य सामग्री की सार्वजनिक नीलामी "जहां है जैसी है" अवस्था में दिनांक 25.02.2022 को दोपहर 12.30 बजे से कृषि महाविद्यालय, बीकानेर परिसर में प्रारम्भ कर उसी दिन समाप्त की जाएगी। जो भी कबाड़ी/व्यवसायी /व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार आदि उक्त अनुपयोगी सामग्री को खरीदने के इच्छुक है वो नीलामी दिवस के दिन दोपहर 12.00 बजे से पूर्व धरोहर राशि रु. 30,000 (बस व ट्रैक्टर के लिए रु. 20000/- अतिरिक्त) जमा करवाकर नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की अन्य शर्तों की जानकारी एवं सामान का निरीक्षण दिनांक 22,23 व 24 फरवरी 2022 (कार्य दिवस एवं कार्यालय समय) के दौरान कृषि महाविद्यालय, बीकानेर में किया जा सकता है।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं प्रसारण हेतु-

1. श्रीमान उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान जिलाधीश, जिलाधीश कार्यालय, बीकानेर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
4. श्रीमान कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. श्रीमान वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. श्रीमान आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
7. श्रीमान सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
8. श्रीमान सचिव, कृषि उपज मंडी (अनाज एवं फल सब्जी), बीकानेर।
9. श्रीमान जनसम्पर्क सूचना अधिकारी, बीकानेर।
10. सूचना पट्ट- कृषि महाविद्यालय, बीकानेर।



अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

[स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय] बीकानेर]

नीलामी शर्तें

1. नीलामी दिनांक 25.02.2022 को कृषि महाविद्यालय परिसर, श्री गंगानगर रोड बीछवाल, बीकानेर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ होगी।
2. विविध अनुपयोगी वाहन (बस व ट्रैक्टर) एवं सामग्री जैसे लकड़ी व लोहे का फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर, कूलर, कृषि उपकरण, औज़ार एवं मशीनरी, स्पिंकलर व ड्रिप पाईप, एवं अन्य सामग्री की सार्वजनिक नीलामी "जहां है जैसी है" अवस्था में श्रेणीवार की जाएगी।
3. अनुपयोगी सामान का निरीक्षण दिनांक 22, 23 व 24 फरवरी 2022 (कार्य दिवस एवं कार्यालय समय) के दौरान कृषि महाविद्यालय, बीकानेर में किया जा सकता है।
4. नीलामी से पूर्व बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रु.30000/- (रुपये तीस हजार मात्र) [(बस व ट्रैक्टर के लिए रु. 20000/- अतिरिक्त)] धरोहर राशि नगद जमा कर टोकन प्राप्त करना होगा। इसके अभाव में बोलीदाता को बोली में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
5. नीलामी की बोली आरक्षित राशी से शुरू की जाएगी। अंतिम बोली को स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास होगा।
6. बोलीदाता को पहचान स्वरूप फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पैन कार्ड आदि में से कोई एक की फोटो प्रतिलिपि कार्यालय में जमा करवानी होगी।
7. धरोहर राशि नीलामी दिवस के दिन कार्यालय समय के दौरान (सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक) जमा करनी होगी तथा असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा धरोहर राशि नीलामी पूर्ण होने पर वापस लौटा दी जाएगी।
8. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नगद जमा करनी होगी व शेष राशि 7 दिन के भीतर जमा करानी होगी। पूर्व की बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा होने पर ही आगे की बोली लगाने का अधिकार होगा अन्यथा अग्रिम बोली नहीं लगा सकेगा।
9. सफल एवं स्वीकृत बोलीदाता को नीलामी की पूर्ण राशि जमा होने पर ही सामान सुपुर्द किया जाएगा। यदि बोलीदाता 07 दिन के भीतर बोली की पूर्ण राशि जमा नहीं करा पता है तो उसके द्वारा बोली के पेटे पूर्व में जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. बिक्री किए गए सामान की किसी भी प्रकार के कर (Tax) जी ज़िम्मेदारी अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को वहन करनी होगी। कर (Tax) संबंधी कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात ही सामान सुपुर्द किया जाएगा।
11. किसी भी विवाद व अन्य मामलों में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
12. किसी भी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
13. अगर नीलामी समिति की दृष्टि में सामान की अनुमानित राशि नीलामी द्वारा प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी समिति को उस सामान की नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. अगर सभी सामान की नीलामी दिनांक 25 फरवरी 2022 को पूर्ण नहीं होती है तो शेष सामान की नीलामी अगले दिन दिनांक 26 फरवरी 2022 को भी जारी रहेगी।
15. सफल बोलीदाता/फ़र्म के पास राज्य /भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ई-कचरा निस्तारण का पंजीयन/प्रमाण पत्र आवश्यक है।


अधिष्ठाता